सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
पौष 28, बुधवार, *शाके* 1944-जनवरी 18, 2023	
Pausa 28, Wednesday , Saka 1944- January 18, 2023	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

जयपुर, दिसम्बर 22, 2022

एस.ओ.126 :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 5(12)वित्त/कर/2022-24 दिनांक 24.11.2022 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

[सं. एफ. 5(12)वित्त/कर/2022-24]

राज्यपाल के आदेश से,

नम्रता वृष्णि,

संयुक्त शासन सचिव।

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 24, 2022

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लो कहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि ग्राम खेजड़ली कलां, तहसील-लूणी, जिला-जोधपुर के खसरा संख्यांक 261 की 4.1197 हेक्टेयर के माप वाली भूमि के संबंध में खेजड़ली शहीदी राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान, खेजड़ली, जोधपुर के पक्ष में निष्पादित किये जाने वाले हस्तान्तरण विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया जायेगा।

[सं. एफ. 5(12)वित्त/कर/2022-24]

राज्यपाल के आदेश से,

नम्रता वृष्णि,

संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.